भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 939

दिनांक 07 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तीकरण योजना

939. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में महिला सशक्तीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है;
(ख) यदि हां, तो योजना के लक्ष्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ब्लॉक स्तर पर उक्त योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस योजना के तहत बिहार राज्य में कुल कितने ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी　　　　महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) स्कीम केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में नवम्बर 2017 में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनुमोदित की गई । इस स्कीम का उद्देश्य केंद्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तर पर महिलाओं के लिए आशायित स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अंतरक्षेत्रक अभिसरण को सुगम बनाना है। स्कीम में ब्लॉक स्तरीय पहलों के अंग के रूप में 115 आकांक्षी जिलों में कालेज छात्र वालेंटियर; 640 जिलों में जिला स्तरीय महिला केंद्र के माध्यम से महिला केंद्रित स्कीमों को सुगम बनाने तथा बीबीबीपी स्कीम के लिए आधार प्रदान करने; महिला केंद्रित स्कीमों/कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संबंधित सरकार की सहायता के लिए राज्य महिला संसाधन केंद्र के माध्यम से समुदाय की भागीदारी तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय गतिविधियों के लिए आबंटित अलग निधि से बीबीबीपी स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन यूनिट के रूप में काम करने की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) : महिला शक्ति केंद्र स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, विशेष रूप से दूर-दराज/असुरक्षित क्षेत्रों जहां महिलाएं औपचारिक कौशल प्रशिक्षण के लिए अपने सन्निकट परिवेश से बाहर व्यक्तिगत रूप से निकलने की स्थिति में नहीं हैं, में महिलाओं की आवश्यकताओं की आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 115 आकांक्षी जिलों के अधिक से अधिक 50 प्रतिशत में गैर सरकारी संगठनों/सहकारी समितियों/कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से महिला समूहों की क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना है।

(ड.) : 13 आकांक्षी जिलों सहित 38 जिलों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को 13.52 करोड़ रुपये का केंद्रीय शेयर जारी किया गया है। प्रति आकांक्षी जिला अधिकतम 8 ब्लॉक के लिए कालेज छात्र वालेंटियर के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय गतिविधियां अनुमोदित की गई हैं।

*****